न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती गीता मीणा पत्नी स्व॰ श्री मूलधन मीणा जाति मीणा निवासी प्लाट नबर 300–जे, विश्वकर्मा नगर–द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर, हाल निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, दुर्गापुरा बस स्टेड के पास, दुर्गापुरा, जयपुर ।

अपीलार्थिया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक।

फोरमल प्रत्यर्थी

1. गौतम मीणा पुत्र स्व॰ श्री मूलधन मीणा (औपचारिक पक्षकार गुमशुदगी दिनांक 04.12.2020)
2. हेमलता मीणा पत्नी श्री गौतम मीणा
3. विजय मीणा पुत्र स्व॰ श्री मूलधन मीणा
   हाल निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, दुर्गापुरा बस स्टेड के पास, दुर्गापुरा, जयपुर ।
4. बीना मीणा पत्नी श्री विजय मीणा
   जाति मीणा, निवासी प्लाट नबर 300–जे, विश्वकर्मा नगर–द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 28.04.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 22/2021 ब उनवानी श्रीमती गीता मीणा बनाम गौतम मीणा

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 व 4 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 10.01.2022**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिया ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 22/2021 ब उनवानी श्रीमती गीता मीणा बनाम गौतम मीणा में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 व 4 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

4. अपीलार्थिया ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया ने एक परिवाद अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश कर निवेदन किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 गौतम मीणा जो दिनाक 18.11.2020 को लापता हो गया था जिसकी गुमशुदी की रिपोर्ट शिप्रा पथ थाने में MPR No. 0044/2020 दिनाक 05.12.2020 पर दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या 3 विजय मीणा अपीलार्थिया का पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 अपीलार्थिया की पुत्रवधु है जो कि अपीलार्थिया के कहने में नहीं है तथा अपीलार्थिया के साथ मारपीट, गाली–गलौच व अभद्र व्यवहार करते रहते है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 उक्त पते पर निवास करते है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 गायब है। अपीलार्थिया जिस मकान नम्बर 300–जे, विश्वकर्मा नगर–द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर में निवास कर रही है वह मकान अपीलार्थिया के पति स्व॰ श्री मूलधन मीणा के द्वारा वर्ष 1997 मे बनवाया गया था तथा इस मकान को बनाने में अपीलार्थिया के पति एवं अपीलार्थिया दोनों ने कठोर मेहनत व स्वयं ने मजदूरी करके यह मकान बनाया था । उक्त मकान में चार कमरे है, जिसमें से एक कमरे में अपीलार्थिया स्वयं निवास कर रही थी और दो कमरो में प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 4 निवास करते है। इसके पश्चात वर्ष 2014 में अपीलार्थिया के पति का स्वर्गवास हो गया तथा अपीलार्थिया के पति का स्वर्गवास होन के उपरान्त से ही प्रत्यर्थीगण का व्यवहार अपीलार्थिया के साथ अमानवीय होने लगा तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 4 हेमलता मीना एवं बीना मीणा भी अपीलार्थिया के साथ अमानवीय व क्रूर व्यवहार करने लगी तथा अपीलार्थिया को व उसके पुत्रों को दहेज के झूंठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती है। प्रत्यर्थीगण संख्या 2 एवं 4 द्वारा अपीलार्थिया के साथे आये दिन अभ्रद व्यवहार कर गाली गलोच एवं मारपीट की जाती है तथा अपीलार्थिया को अपमानित करते है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 अपीलार्थिया के लिए खाना भी नही देती है तथा ना ही स्वयं के पतियों को किसी प्रकार की मदद करने देती है एवं ना ही अपीलार्थी के कपड़े आदि धोती है। घर गृहस्थी का सारा काम अपीलार्थिया को ही करना पडता है। उसमें भी हर कार्य में परेशानी करती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 बिना किसी बात पर अपीलार्थिया के साथ झगड़ा करती रहती है तथा अपीलार्थिया को बालों से पकड कर से बाहर घसीटती है तथा धक्का मार कर गिरा देती है तथा अपीलार्थिया के साथ गाली गलौच करती रहती है। अपीलार्थिया को पीने का पानी भी नही भरने देती है। बस झगडा करने के बहाने ढूंढती रहरती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 द्वारा आये दिन अपीलार्थिया को डराया धमकाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के झूंठे पुलिस मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जाती रहती है तथा डरा धमका कर बोला जाता है कि उसके पिता के अनेक राजनैतिक व रसूखात वाले लोगों से सम्बन्ध है वह जब चाहे तब अपीलार्थिया पर पुलिस केस करवा सकती है एवं अपीलार्थिया को जेल भिजवा सकती है। यदि अपीलार्थिया ने उकत मकान उनके नाम नहीं किया या फिर मकान की एवज में उसे 40 लाख रूपये नहीं दिये तो वह अपीलार्थिया का जीना हराम कर देंगी जिस पर ऐतराज करने पर ये लोग अपीलार्थिया के साथ झगडा करती रहती है जिस पर अपीलार्थिया ने 100 नम्बर पर पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस वेन आकर केवल इन लोगों के साथ समझाईश कर वापस चली जाती है। अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 के विरूद्व थाना शिप्रा पथ में एक रिपोर्ट भी लिखित में दी, लेकिन थाने वालों ने अपिलार्थिया की रिपोर्ट लेकर रख ली लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की तथा पारिवारिक मामला बता कर आपस में सुलह करने की सलाह दी गई। जिसके कारण उक्त प्रत्यर्थीगण के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

होसले बुलंद हो गये तथा वे अपीलार्थिया के साथ पहले से अधिक अमानवीय तरीके से बर्ताव करने लगी। दिनांक 22.09.2020 को भी उक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया के साथ काफी झगडा किया गया तथा अनावश्यक रूप से गृह क्लेश का माहोल उत्पन्न किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया से कहा जाता है कि वह अपना उक्त सम्पूर्ण मकान प्लाट नबर 300–जे, विश्वकर्मा नगर–द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर प्रत्यर्थीगण के नाम कर दे। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया को प्रताड़ित एवं लज्जित करते हुये यह कहा जाता है कि अपीलार्थिया की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है तथा इस बुढापे मे उक्त सम्पत्ति का क्या करेगी ? बेहतर होगा कि वह सम्पत्ति प्रत्यर्थीगण के नाम कर देवें। ऐसे शब्दों को सुन कर अपीलार्थिया को अत्यधिक पीडा पहुंचती है। अपीलार्थिया द्वारा उक्त प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 के विरूद्व सहायक पुलिस उपायुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दक्षिण महानगर जयपुर के समक्ष धारा 107/116 जाब्ता फौजदारी का इस्तगासा पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 एव 4 को पाबन्द भी करवाया गया था, लेकिन पाबन्द होने के बावजूद भी इन लोगों द्वारा अपीलार्थिया के साथ अमानवीय एव कूर बर्ताव ज़ारी रहा तथा अपने व्यवहार मे किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया है। जिससे कतई स्पष्ट है कि ये लोग अपनी नाजायज हरकतो से बाज नहीं आ रहे है तथा अपीलार्थिया को हैरान व परेशान कर घर से निकालने की इनका एक मात्र कुत्सित उद्वेश्य है। दिनांक 24.02.2021 को प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया के साथ गाली गलोच करते हुए लात मुक्कों से मारपीट की गई तथा प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थिया का हाथ पकड़ कर अपीलार्थिया को धक्का मार कर नीचे गिरा दिया तथा नीचे गिरने से अपीलार्थिया को चोट लगी तथा पडोसियों द्वारा लडाई झगड़े मे बीच बचाव कराया गया । प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थिया को धमकी दी, कि यदि उसने उक्त वर्णित मकान प्रत्यर्थीगण के नाम नहीं किया तो वह उसे धक्के देकर घर से बेघर कर देंगे और मकान को बेच कर तुम्हें दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर देंगें तथा उक्त मकान को खाली नहीं करेंगें । प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थिया को साफ साफ कह दिया कि वह किसी प्रकार की भरण पोषण राशि, चिकित्सा व्यय या अन्य आवश्यक खर्चो पर होने वाली राशि भी अपीलार्थिया को अदा नही करेंगे। प्रत्यर्थीगण की उक्त बातों से अपीलार्थिया को अत्यधिक मानसिक वेदना पहुंची है। अपीलार्थिया आर्थिक अभाव के चले अत्यन्त कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रही है तथा बीमारी की हालत में उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है तथा चिकित्सा व्यय के रूप मे अपीलार्थिया के पास पैसे नहीं है। अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दर्ज रजिस्ट किया जाकर अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण का नोटिस जारी कर तलब किया गया। बाद सुनवाई अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनाक 28.0.4.2022 को निर्णय पारित किया गया कि " प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को उक्त प्लाट नबर 300–जे, विश्वकर्मा नगर–द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर से प्रार्थिया के हिस्से 1/5 तक बेदखल किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 गोतम मीणा प्रार्थिया को प्रति माह 3500/– रूपये व अप्रार्थी संख्या 3 विजय मीणा प्रार्थिया को प्रति माह 3500/–रूयपे बतौर भरण पोषण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जरिये चैक द्वारा बैंक मे जमा कराये तथा साथ ही अप्रार्थीगण को पबान्द किया जाता है कि हारी बीमारी में प्रार्थिया की देखभाल करे एवं हारी बीमारी के समय इलाज का समस्त खर्च अप्रार्थी संख्या 1 व 3 वहन करें । अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थिया को शान्ति पूर्वक जीवनयापन एवं रहवास में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे । थानाधिकारी पुलिस थाना शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर को निर्देश दिये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जाते है कि वह उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण से करवाया जाना सुनिश्चित करे। " अप्रार्थिया–अपीलार्थिया अधीनस्थ अधिकरण के आदेश से सन्तुष्ट नहीं है। इसलिए यह अपील पेश कर रही है। अपीलार्थिया ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 में पुत्र व पुत्र वधुओं द्वारा लागातार बे वजह हैरान, परेशान, मारपीट व गृह कलेश करने के कारण अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष मकान से बेदखल का दावा किया था ना कि सम्पत्ति के बंटवारे का अपीलार्थिया ने सम्पत्ति के बंटवारे का न्यायालय से अनुतोष चाहा होता तो सिविल कोर्ट में परिवाद दायर करती । अपीलार्थिया के पुत्र–पुत्रवुघओं द्वारा परेशान हो कर बेदखल का दावा किया था जिसे अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सम्पत्ति बंटवारे का आदेश पारित कर दिया है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है, जो कि विवादित एवं आलौच्य आदेश की श्रेणी में आता है, जिसे मोडिफाई व अल्ट्रेट कि जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 द्वारा आये दिन गृह कलेश करने व अपीलार्थिया तथा अपीलार्थिया के पुत्रों पर मकान बेचने का दबाव बनाने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 3 उक्त मकान को छोड़ कर कच्ची टीनों की कोटडी में रहने लग गया जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 काफी नाराज हो गयी और उन्होंने मारपीट कर अपीलार्थिया व अपने जायन्दा सात बच्चों को जिनकी उम्र 5 वर्ष से 18 वर्ष है, को घर से बाहर निकाल दिया जो वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ कच्ची बस्ती में निवास कर रहे हे। अपीलार्थी के चारों पुत्र अपनी मॉ को उसी मकान में छोड़ कर चले ये थे जिसमें मां सुख शान्ति पूर्वक किराया अर्जित कर अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन दोनो पुत्र वधुओं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 ने मारपीट कर गृह क्लेश करके अपने शोक मोज की वजह से अपने पतियों को घर से बाहर निकाल दिया है तथा दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया है। अतः श्रीमान से अनुरोध कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 28.04.2022 को मोडीफाई एवं अल्ट्रेट किया जाकर अपीलार्थिया की दोनों पुत्र वधुओं प्रत्यार्थी संख्या 2 व 4 हेमलता मीणा एवं बीना मीण से मकान पर नाजायज कब्जा खाली करवा कर उन्हें अपने पति एवं बच्चों के साथ जाकर सामाजिक सम्बन्ध का निर्वहन करने का अनुतोष दिया जावे व अपीलार्थिया को अपने जीवन का अन्तिम पड़ाव मकान से अपने जीवन काल तक जीवन यापन शान्तीपूर्वक से व्यतीत करने का अनुतोष दिलाया जावे। अपीलार्थिया के चारों पुत्र संजय, राजा, गोतम, विजय अपनी मां की पहले से ही पूर्ण रूप से देखभाल, खाना खर्चा करते है जबकि वह भी अलग से कमरा किराया लेकर रह रहे है और मानसिक व आर्थिक रूप से पूर्णतया सहयोग कर रहे है लेकिन दोनों पुत्रों पुत्रवधुऐ अपने शोक मौज के खर्चे जो कि जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं से चार गुना ज्यादा है, जिसकी पूर्ति प्रार्थिया के पुत्र नहीं कर सकते थे एवं पुत्रवधुऐं अपने अन्य स्त्रातों द्वारा अर्जित कर रही है और परिवार के 19 व्यक्तियों को हर तरीके से हैरान व परेशान कर रही है जिसमे स्वयं की 7 जायन्दा संतान भी शामिल है। अतः अपील स्वीकार की जा कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 को मोडिफाई व अल्ट्रेट किया जाकर प्रत्यर्थीगण संख्या 2 हेमलता मीना एव प्रत्यर्थी संख्या 4 बीना मीना को अपलार्थिया के उक्त वर्णित मकान नम्बर 300–जे, विश्वकर्मा नगर–द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर से बेदखल करने एवं प्रत्यार्थी संख्या 2 व 4 जो कि उनके पति है के साथ अपने अपने पति व बच्चों के साथ सामाजिक सम्बन्धों का जीवन निर्वाह करने का आदेश फरमावें।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 ने लिखित बहस पेश कर उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि मकान नं॰ 300 जे विश्वकर्मा नगर, द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर श्रीमती गीता देवी अपीलार्थी के नाम नहीं है तथा उक्त मकान अपीलार्थी के पति मूलधन मीणा के नाम था जिन्होंने अपने जीते जी किसी के नाम वसीयत नहीं की, इसलिए उक्त सम्पत्ति की अपीलार्थी अकेली मालिक नहीं हो सकती और ना ही उसके पास कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है। इसलिए प्रत्यर्थी सख्या 2 व 4 को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रखती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 के पिता ने उक्त मकान के ऊपर एक मंजिल मकान बनाया तथा उसमें सम्पूर्ण पैसा लगाया ताकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 अपने परिवार सहित उसमें आराम से रह सके । प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 का विवाह होने के बाद वे सीधे इसी मकान में आई है तथा विवाह करने के बाद उन्हें लेकर आये । धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतयर्थी संख्या 2 व 4 ने अपीलार्थी को उनके बेटों के विरूद्व न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 08 जयपुर महानगर के समक्ष दो परिवाद प्रस्तुत कर रखे है, जिसमें अपीलार्थी व उसके बेटे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 व अन्य बेटे बहू द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को मारपीट कर घरेलू हिंसा की घटनाये कारित की तथा उन्हें घर से निकालने का प्रयास किया। जिसके लिए भी परिवाद प्रस्तुत कर रखा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को बुरी तरह से मारपीट कर दहेज की मांग भी की गई। इसके लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 ने अपीलार्थी व उसके बेटों के विरूद्व दो एफआईआर पुलिस थाना महिला दक्षिण में एफआईआर संख्या 152/2021 अन्तर्गत धारा 498 ए, 406, 323, 504 आईपीसी व एफआईआर संख्या 151/2021 अन्तर्गत धारा 498 ए, 406, 323, 504 आईपीसी दर्ज करवाई। अभी भी प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 के साथ लगातार मारपीट की जा रही है । दिनांक 19.08.2022 को भी अपीलार्थी व उसके बेटों ने मिल कर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 के विरूद्व मारपीट की जिसकी एफआईआर संख्या 641/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 506, 143 आईपीसी मे पुलिस थाना शिप्रा पथ में दर्ज है। इससे पहले भी कई बार शिकायते इनके विरूद्व दर्ज करवाई गई और पुलिस ने इनहें 151 सीआरपीसी में भी गिरफ्तार किया है इसके बावजूद अपीलार्थी अपने बेटों के साथ मिल कर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को हैरान व परेशान करने व जबरदस्ती से घर से निकालने के लिए परिवाद झूंठे तथ्यों के आधार पर दायर किया है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को घर से निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही उक्त अधिनियम इस बात का विधिक अधिकार प्रदान करता है। अपीलार्थिया अपने बेटे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के साथ रह रही है तथा उनके अलावा दो बेटे और दो बहुए भी उनके साथ रहते है, परन्तु षडयंत्र के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को हैरान व परेशान कर घर से निकाने के लिए दोनों ने मिल कर उक्त अपील झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थिया ने यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को मकान नम्बर 300–जे, विश्वकर्मा नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है, परन्तु उक्त सम्पत्ति अपीलार्थिया के पति स्व॰ श्री मूलधन मीणा के स्वामित्व की है, जो निर्वसियत फोत हो गये। निर्वसियत की सम्पत्ति पर सम्पूर्ण वारीसान का हिस्सानुसार हक व अधिकार होता है। अपीलार्थिया ने सम्पूर्ण सम्पत्ति अपने स्वामित्व की होने की पुष्टि में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपीलार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2022 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निशानी आज दिनांक **10.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर